

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान कमलजीत कौर

बनाम कुलदीप सिंह

प्रकरण संख्या 23 / 20

अन्तर्गत धारा 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो इस पालना
30 ⁰¹ / ₂₃	<p>प्राचीगण व प्राचीगण अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्राचीगण व प्राचीगण अधिवक्ता को नक-2 कर 3 बार आवाज लगावाइ गई। कोई उपस्थित नहीं आया। प्राचीगण का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA इसी स्तर पर अद्य पर्यन्त अद्य हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है।</p>	

